

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या-5 न0/वि0-115/2014 975/ बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-4 के अधीन पूर्व प्रकाशित प्रारूप अधिसूचना संख्या-5365 दिनांक-12.08.2016 द्वारा घोषित संक्रमणशील क्षेत्र के लिए धारा-5 के अधीन प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक् विचारोपरान्त अधिनियम की धारा-6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार सारण जिलान्तर्गत छपरा नगर परिषद की वर्तमान परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों एवं उसकी वर्तमान चौहद्दी को नगर निगम, छपरा घोषित करती है।

2. यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग
/पटना, दिनांक- 14/9/17

संख्या-5 न0/वि0-115/2014 975/न0वि0एवं.आ0वि0

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को, बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करावेंगे।

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग
/पटना, दिनांक- 14/9/17

संख्या-5 न0/वि0-115/2014 975/न0वि0एवं.आ0वि0

प्रतिलिपि:-सभी विभाग/सभी विभागध्याक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/महालेखाकार, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, छपरा/माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

/पटना, दिनांक- 14/9/17

संख्या-5 न0/वि0-115/2014 975/न0वि0एवं.आ0वि0

प्रतिलिपि:-सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

2

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

96

संख्या-5 न0/वि0-115/2014/ अधिसूचना संख्या- 975 दिनांक-14/09/17 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
13/2/2018
(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

Government of Bihar
Urban Development and Housing Department

Memo No- 5 N/Vivdh-115/2014 976 /After due consideration on objection received under section-5 for transitional areas declared through previously published draft Notification NG-5365 dated-12.08.2016 under section-4 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11 of 2007) the State Government in exercise of the powers conferred under section-6 of the Act declares the Circle of Nagar Parishad, Chapra and its present chauhaddi within the district of Saran as Nagar Nigam, Chapra.

2. This notification shall come in to force at once.

By the order of the Governor of Bihar

13/2/2018
(Chaitanya Prasad)
Principal Secretary

Urban Development and Housing Department

Memo No-5 N/Vivdh-115/2014 976

UD&HD

Dated:- 14/09/17

Copy to the Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna for its publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette.

2. He is requested to make available 200 copies of the Gazette to Urban Development and Housing Department.

13/2/2017
Principal Secretary

Urban Development and Housing Department.

.Memo No-5 N/Vivdh-115/2014 976

UD&HD

Dated:- 14/09/17

Copy to All Departments/All Departmental Heads/All Divisional Commissioner/All District Magistrates/Accountant General Bihar, Patna/ Auditor of Local Accounts Bihar, Patna/ Treasury Officer Chapra/ Private Secretary to the honorable Chief Minister/ Private Secretary to the honorable Minister Urban Development and Housing Department/ Secretary to Principal Secretary Urban Development and Housing Department for information and necessary action.

13/2/2017
Principal Secretary

Urban Development and Housing Department.

Memo No-5 N/Vivdh-115/2014 976

UD&HD

Dated:- 14/09/17

Copy to Secretary, State Election Commission Bihar, Son Bhawan, Patna for information and necessary action.

13/2/2017
Principal Secretary

Urban Development and Housing Department.

02/09/17